विज्ञापन सं. 08/2024
संघ लोक सेवा आयोग
निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्‌वारा भर्ती हेतु
(वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in के माध्यम से*)
ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित किए जाते हैं

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति सं. 24040801527) महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक (रिमोट सेंसिंग) के पद के लिए एक रिक्ति।

आरक्षण की स्थिति :
(अनारक्षित-01)

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता :
यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी),** बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, स्पाइनल डिफोर्मेटी और स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया अर्थात् स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया **(एसडी)** या स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया **(एसआई)**, बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

वेतनमान:
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-10**।

आयु :
अनारक्षित के लिए 35 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

शैक्षिक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या गणित या भूगोल या कृषि में बी.एससी. या किसी भी शाखा में बी.टेक के साथ रिमोट सेंसिंग या जियोमैटिक्स या जियोइन्फॉर्मेटिक्स में एम.टेक।

वांछनीय :
कृषि में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) एप्लीकेशन में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :
(i) सीज़न में क्षेत्र मापन के लिए उपग्रह डाटा विश्लेषण, परिवर्तन का पता लगाना, डाटा आधारित संकलन, छवि डाटा की सूची, अनुषंगी डाटा, जी आई एस डाटा बेस, उन्नयन, स्तरीकरण और नमूना उन्नयन शामिल हैं।
(ii) ग्राउंड ट्रुथिंग (ज़मीनी सच्चाई) (जीटी) का संग्रहण और योजना बनाना।
(iii) कृषि मौसम और स्पेक्ट्रल मॉडल का उपयोग करते हुए उपज का पूर्वानुमान लगाना।
(iv) विभिन्न स्रोत डाटा का इष्टतम संयोजन करना।
(v) डाटा डाउनलोड करने और अपलोड करने के लिए तंत्र स्थापित करना।
(vi) कृषि में सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ।

अन्य विवरण :
पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :
भारत या विदेश के किसी भी हिस्से में सेवा देने के दायित्व के साथ महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), पूसा, नई दिल्ली।

2. (रिक्ति सं. 24040802327) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में उपायुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद के लिए दो रिक्तियां।

आरक्षण स्थिति :
(अनारक्षित-02)

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता :
ये रिक्तियां बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित, जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी),** बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले **(एचएच),** प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने मे असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या कुष्ठरोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)** बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**12**।

आयु :
अनारक्षित के लिए 50 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक :
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में कृषि विज्ञान या सस्य विज्ञान या कृषि में मास्टर डिग्री या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वानिकी या वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव :
मृदा और जल संरक्षण या मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन या वर्षा आधारित या एकीकृत खेती और या मृदा सर्वेक्षण या समस्याग्रस्त मृदा सुधार या केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कृषि विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों, में कृषि-वानिकी परियोजनाओं सहित परियोजना निर्माण में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या अनिवार्य योग्यता वाले विषयों में से किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर तकनीकी परीक्षण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होना। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन, राज्यों और हितधारकों के साथ समन्वय, समीक्षा बैठकें आयोजित करना और योजना की प्रगति की निगरानी करना। वित्तीय ट्रैकिंग, आउटपुट विवरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रबंधन करना। कृषि संबंधी मुद्दों को संबोधित करना, प्रस्ताव तैयार करना और बजटीय मामलों को संभालना। प्रभाग के लिए निर्दिष्ट विषयों पर संसदीय दस्तावेज़, वीआईपी संदर्भ और वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना।

अन्य विवरण :
पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

मुख्यालय :
भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ नई दिल्ली।

3. (रिक्ति सं. 24040803127) कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप निदेशक (चिकित्सा) के पद के लिए एक रिक्ति

आरक्षण स्थिति :
(अनारक्षित-01) (पीडब्ल्यूबीडी-01)*।

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद का आरक्षण/उपयुक्तता :
*यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी)** वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से आरक्षित है।

यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी),** बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच),** प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण की अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं **(बीएल)** या दोनों पैर प्रभावित **(बीए)** या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)** या मांसपेशीय कुपोषण (**एमडीवाई),** ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग सहित अक्षमता अर्थात् विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(एसएलडी)** या मानसिक रोगी **(एमआई) या** बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है।

वेतनमान :

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**11** सहित **प्रै.नि.भ.**।

आयु :

पीडब्ल्यूबीडी **के लिए 50 वर्ष।**

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक :

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता धारकों को धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।

(ख) अनुभव :
कारखानों या बंदरगाहों या खानों या निर्माण उद्योग या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल / व्यावसायिक स्वास्थ्य रोग के व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में व्यावसायिक स्वास्थ्य में तीन वर्ष के अनुभव सहित पांच वर्ष का पेशेवर अनुभव।

वांछनीय :
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक और निवारक चिकित्सा या औद्योगिक स्वच्छता या शारीरिक चिकित्सा या व्यावसायिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच)।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :
(i) विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों के समूह की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना और व्यावसायिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का डिजाइन और संचालन करना।
(ii) व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन और सर्वेक्षण करना और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उद्योगों को उचित उपायों की सिफारिश करना।
(iii) अध्ययन के दौरान तकनीकी कर्मचारियों के काम का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना और अध्ययन की रिपोर्ट तैयार करना।
अन्य विवरण :
पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।
मुख्यालय :
अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित मुंबई।

4. (रिक्ति सं. 24040804627) भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में सहायक खान नियंत्रक के पद के लिए दो रिक्तियां।

आरक्षण स्थिति :
(अनारक्षित-02)। (पीडब्ल्यूबीडी-01)*।

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद का आरक्षण / उपयुक्तता :
*दो रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी)** वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी),** बधिर **और** ऊंचा सुनने वाले अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, स्पाइनल डिफोर्मेटी और स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया अर्थात् स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया **(एसडी)** या स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया (**एसआई**), ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(एसएलडी)**, बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है।

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**10**।

आयु :
अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और
पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) : शैक्षिक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से खनन इंजीनियरी में स्नातक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से खनन इंजीनियरी में मास्टर ऑफ इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी।

(ख) अनुभव:

(I) खनन इंजीनियरी में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी स्नातक के मामले में-:
मुख्य खनन गतिविधि में 03 वर्ष का अनुभव:-

(क) धातु (गैर-कोयला) खानों में प्रबंधकीय पद पर जिसमें स्नातक या प्रबंधन या कनिष्ठ प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में अवधि शामिल है,

या

(ख) खानों और खनिजों से संबंधित सरकारी विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल 7 में (44900-142400 रुपये) या उससे ऊपर

या

(II) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनन इंजीनियरी में मास्टर ऑफ इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी के मामले में।

मुख्य खनन गतिविधि में एक वर्ष का अनुभव :-

(क) धातु (गैर-कोयला) खानों में प्रबंधकीय स्थिति जिसमें स्नातक या प्रबंधन या कनिष्ठ प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में अवधि शामिल है,

या

(ख) खानों और खनिजों से संबंधित सरकारी विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल 7 में (44900-142400 रुपये) या उससे ऊपर।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य : व्यवस्थित विकास के लिए खानों का निरीक्षण, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत खनिजों का संरक्षण, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए अदालती शिकायतों को प्राथमिकता देना। खदान स्वामियों को उपयुक्त तकनीक को अपनाने एवं पूर्वेक्षण और खनन, निम्न श्रेणी के खनिजों और अपशिष्टों के उपयोग, खनन क्षेत्रों में पर्यावरण की सुरक्षा, खनिजों के सज्जीकरण के लिए सलाह देना। अनुमोदित खनन योजना / खनन की योजना के अनुसार खनन गतिविधियों की निगरानी करना। आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी डेटा प्रोसेसिंग और पुनप्राप्ति। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

अन्य विवरण :
पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय : नागपुर (महाराष्ट्र) अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ।

5. (रिक्ति सं. 24040805327) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण अधिकारी (महिला प्रशिक्षण) - आन्तरिक डिजाइन और सजावट के पद के लिए एक रिक्ति।

आरक्षण स्थिति :
(अनारक्षित-01)।

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता :
यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी),** बधिर और ऊंचा सुनने वाले अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम अक्षमता **(एएसडी) (एम = माइल्ड, एमओडी = मॉडरेट)** या बौद्धिक विकलांगता **(आईडी)** या विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(एसएलडी)** या बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-07**।

आयु :
अनारक्षित के लिए 30 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

शैक्षिक :

(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इंटीरियर डिजाइन और सजावट में तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण या उद्योग के संबंधित क्षेत्र में योग्यता के बाद दो वर्ष का अनुभव।

या

(ii) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय आंतरिक डिजाइन और सजावट में तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो; शिक्षण या उद्योग के संबंधित क्षेत्र में योग्यता के बाद पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी समकक्ष या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र संस्थानों से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :

वे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देते हैं। वे संगठनों/विभाग की नीतियों के ढांचे के भीतर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, संस्थागत और या सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाते और निष्पादित करते हैं। कार्मिक दक्षता और आउटपुट में सुधार लाने के उद्देश्य से, पाठ्यक्रम कार्यक्रमों, प्रशिक्षण

सामग्रियों के विकास में सलाह देना और सहायता करना / नीतियों, प्रक्रियाओं, उपकरणों और अन्य संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करने में सहायता करना है। प्रचालनात्मक संबंधी निर्देशों को संशोधित / उनका मसौदा तैयार करना, फ़ील्ड समस्याओं से संबंधित नोट्स, टिप्पणियाँ तैयार करना। प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त वक्ता/प्रशिक्षकों का सुझाव देना, उचित प्रशिक्षण गतिविधि पर सलाह देना, प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करना। समय-समय पर अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अन्य विवरण :
पद स्थायी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :
प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली।

6. (रिक्ति सं. 24040806327) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण अधिकारी (महिला प्रशिक्षण) - कार्यालय प्रबंधन के पद के लिए तीन रिक्तियां

आरक्षण स्थिति :
(अनारक्षित-02, अ.जा.-01)।

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता :
ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन **(बी)** अथवा अल्प दृष्टि **(एलवी),** बधिर **और** ऊंचा सुनने वाले अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या

एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम अक्षमता **(एएसडी) (एम = माइल्ड, एमओडी = मॉडरेट)** या बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

वेतनमान :

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-07**।

आयु :

अनारक्षित के लिए 30 वर्ष और

अ.जा. के लिए 35 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

शैक्षिक :

(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कार्यालय प्रबंधन या सचिवीय अभ्यास या सचिवीय सेवाओं या आशुलिपि (अंग्रेजी) में तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण या उद्योग के संबंधित क्षेत्र में योग्यता के बाद दो वर्ष का अनुभव।

या

(ii) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय कार्यालय प्रबंधन या सचिवीय अभ्यास या सचिवीय सेवाओं या आशुलिपि (अंग्रेजी) में तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो; शिक्षण या उद्योग के संबंधित क्षेत्र में योग्यता के बाद पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्‌वारा जारी समकक्ष या कौशल विकास और उद्‌यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र संस्थानों से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

टिप्पणियाँ :
टिप्पणी-I : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्‌वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-II : अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों का उल्लेख करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :
वे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देते हैं। वे संगठनों/विभाग की नीतियों के ढांचे के भीतर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, संस्थागत और या सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाते और उन्हें निष्पादित करते हैं। कार्मिक दक्षता और आउटपुट में सुधार लाने के उद्देश्य से, पाठ्‌यक्रम कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सामग्रियों के विकास में सलाह देते हैं और सहायता करते हैं / नीतियों, प्रक्रियाओं, उपकरणों और अन्य संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करने में सहायता करते हैं। परिचालन संबंधी निर्देशों को संशोधित / उनका मसौदा तैयार करने के लिए फ़ील्ड समस्याओं से संबंधित नोट्‌स, टिप्पणियाँ तैयार करते है। प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त वक्ता/प्रशिक्षकों का सुझाव देना, उचित प्रशिक्षण गतिविधि पर सलाह देना, प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन और साथ ही

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करना। समय-समय पर अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अन्य विवरण :
पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :
प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली।

7. (रिक्ति सं. 24040807327) डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (रसायन विज्ञान) के पद के लिए एक रिक्ति

आरक्षण स्थिति :
(अनारक्षित-01)

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-10**।

आयु :
अनारक्षित के लिए 35 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :
शैक्षिक :
(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से रसायन विज्ञान में 55% अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां से प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) (**रसायन विज्ञान**) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी. (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा) / एस.ई.टी. (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर होने वाले उनके संशोधनों के अनुसार (**रसायन विज्ञान)** में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो, के अधीन एन.ई.टी./ एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. से छूट दी जा सकती है।

परन्तुक, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे बशर्ते ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए **एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी.** की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन छूट दी जाएगी :-

क) उम्मीदवार को पीएच.डी. उपाधि नियमित रूप में प्रदान की गई हो;

ख) पीएच.डी. शोध लेख का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

ग) उम्मीदवार की मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. शोध-लेख से दो शोध पत्रों को प्रकाशित किया हो जिसमें से कम से कम एक संदर्भित पत्रिका में प्रकाशित होना चाहिए;

(ङ) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी समकक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / समर्थित किसी सम्मेलन / संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. शोध-कार्य के आधार पर कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों।

उपर्युक्त शर्तों (क) से (ङ) की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव / डीन (शैक्षणिक / अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

अथवा

(ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से **रसायन विज्ञान** में पीएच.डी. की उपाधि।

टिप्पणी : ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए एन.ई.टी./ एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्यायित एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. आयोजित नहीं किया जाता है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. समकक्ष परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :

अकादमिक

i) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक संबंधित जिम्मेदारियां

ii) समय-समय पर संस्था और संबद्ध निकाय से संबंधित सभी सौंपे गए कार्य

iii) सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन आयोजित करना

अनुसंधान एवं स्टार्ट-अप गतिविधियाँ

i) स्थानीय समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के साथ छात्रों की भागीदारी के साथ प्रायोजित नवीन परियोजनाओं को शुरू करना और शोध पत्र प्रकाशित करना।

ii) छात्रों को हैकथॉन/सामुदायिक गतिविधियों/सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए परियोजना के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रशासनिक

i) विभाग/संस्थान स्तर की कार्यात्मक गतिविधियों में सहयोग एवं समर्थन देना।

ii) वरिष्ठ अधिकारियों/अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य प्रशासनिक कार्य करना।

अन्य सभी गतिविधियाँ भर्ती नियम के अनुसार और संस्थान के सभी निर्धारित मानदंडों का पालन करना।

अन्य विवरण :

पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

कोई अन्य शर्तें:

(i) सेवा में भर्ती/नियुक्त उम्मीदवार को परिवीक्षा पूरी करने के लिए सेवा के पहले वर्ष के भीतर एआईसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण नीति के अनुसार SWAYAM में 08 ऑनलाइन MooCs मॉड्यूल के अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

(ii) उम्मीदवारों को अंडमान और निकोबार प्रशासन के आदेश / आवश्यकता के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

8. (रिक्ति सं. 24040808327) डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) के पद के लिए एक रिक्ति

आरक्षण स्थिति :

(अ.ज.जा.-01)।

वेतनमान :

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-10**।

आयु :

अ.ज.जा. के लिए 40 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

शैक्षिक :

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अंग्रेजी में 55% अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां से प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) (अंग्रेजी) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी. (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा) / एस.ई.टी. (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर होने वाले उनके संशोधनों के अनुसार (अंग्रेजी) में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो, के अधीन एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. से छूट दी जा सकती है।

परन्तुक, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे बशर्ते ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए **एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी.** की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन छूट दी जाएगी :-

क) उम्मीदवार को पीएच.डी. उपाधि नियमित रूप में प्रदान की गई हो;
ख) पीएच.डी. शोध लेख का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;
ग) उम्मीदवार की मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. शोध-लेख से दो शोध पत्रों को प्रकाशित किया हो जिसमें से कम से कम एक संदर्भित पत्रिका में प्रकाशित होना चाहिए;
(ङ) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी समकक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / समर्थित किसी सम्मेलन / संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. शोध-कार्य के आधार पर कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों।

उपर्युक्त शर्तों (क) से (ङ) की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव / डीन (शैक्षणिक / अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

अथवा

(ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से **अंग्रेजी** में पीएच.डी. की उपाधि।

टिप्पणी-1 : ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए एन.ई.टी./ एस.एल.ई.टी./ एस.ई.टी. की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्यायित एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. आयोजित नहीं किया जाता है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. समकक्ष परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

टिप्पणी-2 : अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। 55% अंकों की पात्रता अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, वहां से प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और ऊपर उल्लिखित श्रेणी के लिए 5% की छूट, बिना किसी ग्रेस मार्क प्रक्रियाओं को शामिल किए केवल योग्यता अंकों के आधार पर स्वीकार्य है।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :

अकादमिक

i) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक संबंधित जिम्मेदारियां

ii) समय-समय पर संस्था और संबद्ध निकाय से संबंधित सभी सौंपे गए कार्य

iii) सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन आयोजित करना

अनुसंधान एवं स्टार्ट-अप गतिविधियाँ

i) स्थानीय समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के साथ छात्रों की भागीदारी के साथ प्रायोजित नवीन परियोजनाओं को शुरू करना और शोध पत्र प्रकाशित करना।

ii) छात्रों को हैकथॉन/सामुदायिक गतिविधियों/सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए परियोजना के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रशासनिक

i) विभाग/संस्थान स्तर की कार्यात्मक गतिविधियों को सहायता एवं समर्थन देना।

ii) वरिष्ठ अधिकारियों/अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य प्रशासनिक कार्य करना।

अन्य सभी गतिविधियाँ भर्ती नियम के अनुसार और संस्थान के सभी निर्धारित मानदंडों का पालन करना।

अन्य विवरण :

पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

कोई अन्य शर्तें:

(i) सेवा में भर्ती/नियुक्त उम्मीदवार को परिवीक्षा पूरी करने के लिए सेवा के पहले वर्ष के भीतर एआईसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण नीति के अनुसार SWAYAM में 08 ऑनलाइन MooCs मॉड्यूल के अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

(ii) उम्मीदवारों को अंडमान और निकोबार प्रशासन के आदेश / आवश्यकता के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

9. (रिक्ति सं. 24040809327) डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (गणित) के पद के लिए एक रिक्ति

आरक्षण स्थिति :

(अनारक्षित-01)।

वेतनमान :

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-10**।

आयु :

अनारक्षित के लिए 35 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

शैक्षिक :

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से गणित में 55% अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां से प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) (गणित) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी. (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा) / एस.ई.टी. (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर होने वाले उनके संशोधनों के अनुसार (गणित) में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो, के अधीन एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. से छूट दी जा सकती है।

परन्तुक, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे बशर्ते ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए **एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी.** की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन छूट दी जाएगी :-

क) उम्मीदवार को पीएच.डी. उपाधि नियमित रूप में प्रदान की गई हो;
ख) पीएच.डी. शोध लेख का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;
ग) उम्मीदवार की मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. शोध-लेख से दो शोध पत्रों को प्रकाशित किया हो जिसमें से कम से कम एक संदर्भित पत्रिका में होना चाहिए;
(ङ) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी समकक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / समर्थित किसी सम्मेलन / संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. शोध-कार्य के आधार पर कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों।

उपर्युक्त शर्तों (क) से (ङ) की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव / डीन (शैक्षणिक / अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

अथवा

(ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से गणित में पीएच.डी. की उपाधि।

टिप्पणी : ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए एन.ई.टी./ एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्यायित एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. आयोजित नहीं किया जाता है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. समकक्ष परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :

अकादमिक

i) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक संबंधित जिम्मेदारियां

ii) समय-समय पर संस्था और संबद्ध निकाय से संबंधित सभी सौंपे गए कार्य

iii) सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन आयोजित करना

अनुसंधान एवं स्टार्ट-अप गतिविधियाँ

i) स्थानीय समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के साथ छात्रों की भागीदारी के साथ प्रायोजित नवीन परियोजनाओं को शुरू करना और शोध पत्र प्रकाशित करना।

ii) छात्रों को हैकथॉन/सामुदायिक गतिविधियों/सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए परियोजना के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रशासनिक

i) विभाग/संस्थान स्तर की कार्यात्मक गतिविधियों का समर्थन करना।

ii) वरिष्ठ अधिकारियों/अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य प्रशासनिक कार्य करना।

अन्य सभी गतिविधियाँ भर्ती नियम के अनुसार और संस्थान के सभी निर्धारित मानदंडों का पालन करना।

अन्य विवरण :

पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

कोई अन्य शर्तें:

(i) सेवा में भर्ती/नियुक्त उम्मीदवार को परिवीक्षा पूरी करने के लिए सेवा के पहले वर्ष के भीतर एआईसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण नीति के अनुसार SWAYAM में 08 ऑनलाइन MooCs मॉड्यूल के अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

(ii) उम्मीदवारों को अंडमान और निकोबार प्रशासन के आदेश / आवश्यकता के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

10. (रिक्ति सं. 24040810327) डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (भौतिकी) के पद के लिए एक रिक्ति

आरक्षण स्थिति :

(अ.पि.व.-01)।

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-10**।

आयु :
अ.पि.व. के लिए 38 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :
शैक्षिक :
(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से **भौतिकी** में 55% अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां से प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) (**भौतिकी**) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी. (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा) / एस.ई.टी. (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर होने वाले उनके संशोधनों के अनुसार (**भौतिकी**) में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो, के अधीन एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. से छूट दी जा सकती है।

परन्तुक, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे बशर्ते ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए **एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी.** की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन छूट दी जाएगी :-

क) उम्मीदवार को पीएच.डी. उपाधि नियमित रूप में प्रदान की गई हो;
ख) पीएच.डी. शोध लेख का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;
ग) उम्मीदवार की मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. शोध-लेख से दो शोध पत्रों को प्रकाशित किया हो जिसमें से कम से कम एक संदर्भित पत्रिका में होना चाहिए;
(ङ) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी समकक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / समर्थित किसी सम्मेलन / संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. शोध-कार्य के आधार पर कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों।

उपर्युक्त शर्तों (क) से (ङ) की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव / डीन (शैक्षणिक / अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

अथवा

(ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से **भौतिकी** में पीएच.डी. की उपाधि।

टिप्पणी-1: ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए एन.ई.टी./ एस.एल.ई.टी./ एस.ई.टी. की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्यायित एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. आयोजित नहीं किया जाता है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. समकक्ष परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

टिप्पणी-2 : अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। 55% अंकों की पात्रता अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, वहां से प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और ऊपर उल्लिखित श्रेणी के लिए 5% की छूट, बिना किसी ग्रेस मार्क प्रक्रियाओं को शामिल किए केवल योग्यता अंकों के आधार पर स्वीकार्य है।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :

अकादमिक

i) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक संबंधित जिम्मेदारियां

ii) समय-समय पर संस्था और संबद्ध निकाय से संबंधित सभी सौंपे गए कार्य

iii) सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन आयोजित करना

अनुसंधान एवं स्टार्ट-अप गतिविधियाँ

i) स्थानीय समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के साथ छात्रों की भागीदारी के साथ प्रायोजित नवीन परियोजनाओं को शुरू करना और शोध पत्र प्रकाशित करना।

ii) छात्रों को हैकथॉन/सामुदायिक गतिविधियों/सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए परियोजना के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रशासनिक

i) विभाग/संस्थान स्तर की कार्यात्मक गतिविधियों का समर्थन करना।

ii) वरिष्ठ अधिकारियों/अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य प्रशासनिक कार्य करना।

अन्य सभी गतिविधियाँ भर्ती नियम के अनुसार और संस्थान के सभी निर्धारित मानदंडों का पालन करें।

अन्य विवरण :

पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

कोई अन्य शर्तें:

(i) सेवा में भर्ती/नियुक्त उम्मीदवार को परिवीक्षा पूरी करने के लिए सेवा के पहले वर्ष के भीतर एआईसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण नीति के अनुसार SWAYAM में 08 ऑनलाइन MooCs मॉड्यूल के अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

(ii) उम्मीदवारों को अंडमान और निकोबार प्रशासन के आदेश / आवश्यकता के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

11. (रिक्ति सं. 24040811327) टैगोर गवर्नमेंट कालेज ऑफ एजुकेशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (हिन्दी) के पद के लिए एक रिक्ति

आरक्षण स्थिति :

(अनारक्षित-01)।

वेतनमान :

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-10**।

आयु :

अनारक्षित के लिए 35 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

शैक्षिक :

(i) 50% अंकों के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां से प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री।

(ii) कम से कम 55% अंकों के साथ एम.एड डिग्री (या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड)।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित शिक्षा में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसईटी/एसएलईटी) उत्तीर्ण।

नोट : जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएचडी डिग्री प्रदान की गई है, उन्हें उत्तीर्ण होने की पात्रता शर्त की आवश्यकता से नेट/स्लेट/सेट से छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य : कॉलेज/अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा सौंपे गए अनुसार संबंधित विषय और संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों, ट्यूटोरियल, सेमिनार, कार्यशालाएं, संगोष्ठियों, परीक्षाओं में कक्षाएं आयोजित करना।

अन्य विवरण :
पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

कोई अन्य शर्तें:
उम्मीदवारों को अंडमान और निकोबार प्रशासन के आदेश / आवश्यकता के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। अभ्यर्थियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

12. (रिक्ति सं. 24040812427) संघ लोक सेवा आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) के पद के लिए दो रिक्तियां

आरक्षण स्थिति :
(अनारक्षित-02)।

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता :
ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित अर्थात् दृष्टिहीन एवं अल्पदृष्टि सहित अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन **(बी)** या अल्प दृष्टि **(एलवी)**, बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच),** प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण की अक्षमता अर्थात् दोनों हाथ प्रभावित **(बीए)** या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू**) या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया **(एसडी)** या स्पाइनल इंजरी के बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया **(एसआई)**, ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग सहित अक्षमता अर्थात् विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(एसएलडी)** या मानसिक रोगी **(एमआई) या** बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-11**।

आयु :
अनारक्षित के लिए 40 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषाविज्ञान में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री: या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के साथ मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में।

(ख) अनुभव :

हिंदी में शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) प्रयोग तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न विषयों में अकादमिक और तकनीकी सामग्री के हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का पांच साल का अनुभव जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों

या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के तहत परीक्षा कार्य का अनुभव भी शामिल है।

वांछनीय :

हिंदी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अवार्ड हो या भाषाई शोध में प्रकाशित कार्य; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में से किसी एक का अध्ययन किया हो।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी और व्युत्क्रमत: अनुवाद और प्रासंगिक भाषाई अनुसंधान से संबंधित कार्य और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अन्य विवरण :

दो रिक्तियों में से, एक रिक्ति स्थायी है और शेष एक रिक्ति अस्थायी है लेकिन अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। सामान्य केंद्रीय सेवा समूह- "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

मुख्यालय :

नई दिल्ली

कोई अन्य शर्तें :

(i) परिवीक्षा के सफल समापन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा निर्धारित दो-चार सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।

(ii) पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवार दिनांक 01.01.2004 से नई पेंशन योजना द्वारा शासित/कवर होंगे।

(महत्वपूर्ण)
उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **27-04-2024** से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ.आर.ए.) आमंत्रित किए जाते हैं। ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तिथि **16.05.2024 को 23.59 बजे** तक है।
पूर्ण रूप से ऑन-लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि **17.05.2024 को 23.59 बजे** तक है।
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।
साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

***बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति।**

टिप्पणियां :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में केवल वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) सभी मदों के सामने दर्शायी गई आयु सीमा ईडब्ल्यूएस / अनारक्षित उम्मीदवारों हेतु सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 5 वर्ष, अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तथा पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष तक की छूट है। अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी छूट के लिए आवेदक कृपया "चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें।

ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह अभिलेखबद्ध करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

घ) बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी), **रिक्ति विवरण** के विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाए अनुसार, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्ति ही नियमों के अंतर्गत अनुमेय, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने के पात्र माने जाएंगे। अत:

बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अक्षमता 40 % या इससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब शारीरिक अक्षमता 40% या उससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

ङ) ऐसे मामलों में, जहां विशेष रूप से आरक्षित और उनके लिए उपयुक्त निर्धारित पदों के लिए साक्षात्कार के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र, शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुभव योग्यताओं में (50% तक) छूट दी जा सकती है ताकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें। यह अनुभव के वर्ष पर लागू होता है न कि अनुभव की प्रकृति पर।

च) **मुख्यालय** : कुछ पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी।

छ) **परिवीक्षा** : चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा।

<u>शुद्धिपत्र</u>

संदर्भ सं. **एफ.1/16(1)/2024-भ.IV.** भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) के पद के लिए एक (01) अनारक्षित रिक्ति पर भर्ती के संबंध में रोजगार समाचार दिनांक 09.03.2024 में और यूपीएससी की वेबसाइट (www.upsconline.nic.in) पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या 05/2024 (मद सं. 06, रिक्ति सं. 24030506409) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इसका भी उल्लेख किया गया था कि ये रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित अर्थात् दृष्टिहीन एवं अल्पदृष्टि अर्थात् दृष्टिहीन (बी) या अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् मानसिक रोग (एमआई), बहुविध अक्षमताओं (एमडी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

2. सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि पीडब्ल्यूबीडी की उपर्युक्त दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्तता के अलावा, यह पद चलने में असमर्थता संबंधी विकलांगता के तहत किसी भी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया के बिना स्पाइनल डिफोर्मेटी / स्पाइनल इंजरी नामक दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी उपयुक्त है।

3. इसलिए, उपर्युक्त रिक्ति के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) केवल सं.लो.से.आ. की वेबसाइट http.//www.upsconline.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित उम्मीदवारों से **16-05-2024** तक आमंत्रित किए जाते हैं।

(i) बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित दिव्यांगता जैसे चलने मे असमर्थता संबंधी विकलांगता के तहत किसी भी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया के बिना स्पाइनल डिफोर्मेटी / स्पाइनल इंजरी; एवं

(ii) मूल विज्ञापन में यथा उल्लिखित बहुविध अक्षमता अर्थात् बिना किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल/लिंब संबंधी दुष्क्रिया के साथ-साथ एक या अधिक अक्षमता के साथ स्पाइनल डिफोर्मेटी / स्पाइनल इंजरी के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।

4. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयु आदि से संबंधित पात्रता शर्तों के लिए, 09.03.2024 को प्रकाशित मूल विज्ञापन संख्या-05/2024 में इंगित अंतिम तिथि (यानी 28.03.2024) मान्य होगी। अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

<u>शुद्धिपत्र</u>

संदर्भ सं. एफ. 1/4(2)/2024-भ.II भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में सहायक खनन भूविज्ञानी के पद के लिए एक (01) अनारक्षित रिक्ति पर भर्ती के संबंध में रोजगार समाचार दिनांक 09.03.2024 में और यूपीएससी की वेबसाइट (www.upsconline.nic.in) पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या 05/2024 (मद सं. 05, रिक्ति सं. 24030505209) के संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इसका भी उल्लेख किया गया था कि ये रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित अर्थात् दृष्टिहीन एवं अल्प दृष्टि संबंधी अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी)**, बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण संबंधी अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(एसएलडी)**, बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

2. सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि पीडब्ल्यूबीडी की उपर्युक्त दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्तता के अलावा, यह पद चलने में असमर्थता संबंधी विकलांगता के तहत किसी भी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया के बिना स्पाइनल डिफोर्मेटी / स्पाइनल इंजरी नामक दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी उपयुक्त है।

3. इसलिए, उपर्युक्त रिक्ति के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) केवल सं.लो.से.आ. की वेबसाइट http.//www.upsconline.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित उम्मीदवारों से **16-05-2024** तक आमंत्रित किए जाते हैं।

(i) बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित दिव्यांगता जैसे चलने मे असमर्थता संबंधी विकलांगता के तहत किसी भी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/लिंब की दुष्क्रिया के बिना स्पाइनल डिफोर्मेटी / स्पाइनल इंजरी, एवं

(ii) मूल विज्ञापन में यथा उल्लिखित बहुविध अक्षमता अर्थात् बिना किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल/लिंब संबंधी दुष्क्रिया के साथ-साथ एक या अधिक अक्षमता के साथ स्पाइनल डिफोर्मेटी / स्पाइनल इंजरी के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।

4. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयु आदि से संबंधित पात्रता शर्तों के लिए, 09.03.2024 को प्रकाशित मूल विज्ञापन संख्या-05/2024 में इंगित अंतिम तिथि (यानी 28.03.2024) मान्य होगी। अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यतः या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे।

2. आयु सीमाएं : इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश देखें।

3. न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी-II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) "वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है"।

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षा आयोजित करते समय अंतिम योग्यता निर्धारित करने में भर्ती परीक्षा के अंकों और साक्षात्कार के अंको के लिए आम तौर पर वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी-III :-

महत्वपूर्ण	
(i)	चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षा के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना./ई.डब्ल्यू.एस.-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा. / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूबीडी-40 अंक होगा।
(ii)	जिन मामलों में भर्ती परीक्षा (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात 'भर्ती परीक्षा' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा।

4. आवेदन शुल्क:

(क) उम्मीदवार (महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है) शुल्क के रूप में 25/-रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद रूप में या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के इस्तेमाल से या वीज़ा / मास्टर / रुपे / क्रेडिट / डेबिट कार्ड / यूपीआई भुगतान के माध्यम से जमा करा सकते हैं।

(ख) अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा। सामान्य/अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के पुरूष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा।

(ग) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के निरसन के विरूद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भूतपूर्व सैनिक द्वारा अनुप्रमाणन के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 माह से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तिथि को 5 वर्ष से और आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) **उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए** संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, मुंबई।

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

(ग) **केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :**

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है। (इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है जिसमें आयु में 5 वर्ष की छूट उनकी संबंधित श्रेणियों से है। उसी प्रकार, अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है जिसमें अ.पि.व. के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है)। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा और उसी पद या संबद्ध कैडर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी और जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने के लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित निर्णय आयोग का होगा। उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट की मांग करता है, उसे कार्यालय के लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से **विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किए गए** निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि वह नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का कर्मचारी है और कैजुअल/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) **बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु सीमा में छूट :**

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले (ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग, (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए है। इसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व.

उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है), जो इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्ते संबंधित पद दिव्यांगता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।
(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी।
(iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।
(v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा "दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्युडी), 2016" अधिनियम की अनुसूची {धारा-2 का खण्ड(22)} के अनुसार होगी।

(ङ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरटी/सीबीआरटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा:

दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तष्कीय पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को यदि उसकी इच्छा हो तो स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्युडी), 2016 की धारा 2 (द) के तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में उन्हें स्क्राइब की सुविधा आयोग की वेबसाइट पर भर्ती खंड (प्रमाणपत्र हेतु www.upsc.gov.in/recruitment/forms) में दिए गए प्रमाणपत्र प्रपत्र में सरकारी स्वास्थय देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है, उम्मीदवार के पास अपना स्क्राइब लाने या फिर उसके लिए आयोग से अनुरोध करने का विकल्प होगा। स्क्राइब का विवरण अर्थात स्क्राइब उम्मीदवार या फिर आयोग की ओर से है तथा स्क्राइब का विवरण (यदि स्क्राइब उम्मीदवार द्वारा लाया जा रहा है), ऑन-लाइन भरते समय मांगा जाएगा। स्क्राइब की योग्यता पद के लिए अपेक्षित न्युनतम योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यत: वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, अनुभव (विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) या अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को सिंगल पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक तथा **''अपलोड अन्य दस्तावेज''** के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे। वेतन पर्ची, जीवन-वृत्त, नियुक्ति आदेश, कार्य-मुक्ति पत्र, अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल में हरगिज अपलोड नहीं किया जाना चाहिए :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तिथि का अभिलेखबद्धन किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तिथि (तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों)/विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्धकिया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्धभी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि

अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यत: निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) किए गए किसी अन्य दावों के लिए दस्तावेजी प्रमाण।

<u>**टिप्पणी**</u> : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत रूप से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा।

(iii) **महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।**

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता/करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र शुल्क सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा और एक "आवेदन सं." के लिए दिए गए आवेदन शुल्क को किसी अन्य "आवेदन पत्र सं." के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6 (ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

"चेतावनी" :

उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच तभी की जाएगी जब उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार योग्यताओं और अनुभवों, विज्ञापन तथा मॉडलिटीज के अनुसार विभिन्न रिपोर्टों और शार्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए मानदण्डों के संदर्भ में सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया जाएगा। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑन-लाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए

- **आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।**
- **केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है**

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण-पत्र।

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तिथि का अभिलेखबद्धन किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तिथि (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्धकिया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्धभी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके

अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यत: निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/ प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **<u>महिलाओं के विवाह के मामले में</u>** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का अभिलेखबद्धहो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) **<u>महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में</u> -** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का अभिलेखबद्धहो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) **<u>तलाकशुदा महिलाओं के मामले में</u> -** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) **<u>अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में</u>**, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र

आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र/दस्तावेज :
i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।
ii) केन्द्र सरकार/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तिथि के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।
iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध/आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटर्नशिप संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।
(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी। : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तिथि निर्णायक है। बाद में जन्म की तिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : *उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग/अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा।*

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :
उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया / जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई

असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा

(ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा

(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(ज) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ञ) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ट) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।

(ठ) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे–

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं,

उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि होगी।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारण का अभिलेखबद्ध (संख्या तथा तिथि) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

(घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

(ङ) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्ते पूरी करतें हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते है उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके।

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।

(ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।

(ञ) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए **निर्धारित प्रोफार्मा** के प्रपत्र आयोग की शासकीय वेबसाइट https://www.upsc.gov.in. पर प्रमाणपत्रों के फार्म भर्ती शीर्ष के अन्तर्गत (लिंक https://www.upsc.gov.in./recruitment) उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीदवार उनको डाउनलोड करके तद्नुसार भर सकते हैं।

******

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।